भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1812

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।

7 श्रावण, 1948 (शक)

इंडिया-एआई कंप्यूट पोर्टल के अंतर्गत जीपीयू तक पहुंच

1812. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इंडिया-एआई कंप्यूट पोर्टल के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में स्टार्टअप्स, एमएसएमई और शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए जीपीयू की संख्या की निगरानी रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वाधिक उपयोग करने वाले शीर्ष दस राज्यों एवं जिलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा यह जानकारी कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने आईआईएससी-एफएसआईडी कोर के इस निष्कर्ष का संज्ञान लिया है कि जीपीयू तक पहुंच उन आवेदकों के पक्ष में अधिक अनुकूल है जो प्रस्ताव लिखने में अधिक सक्षम हैं और यदि हाँ, तो छोटे एवं नए आवेदकों के लिए इस स्थिति में सुधार करने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विशाखापत्तनम में विकसित किए जा रहे एआई हब के लिए कोई केंद्रीय निधि प्रदान की गई अथवा योजना लागू की गई है तथा क्या केंद्र सरकार का बड़े निजी एआई-कंप्यूट निवेशों के लिए भारतीय सार्वजनिक अनुसंधान हेतु कंप्यूट क्षमता का एक भाग आरक्षित रखने संबंधी कोई प्रावधान करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** भारत की एआई नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य एआई से जुड़े जोखिमों को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार सृजित करना है।

भारत की एआई कार्यनीति 300 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व और 60 लाख सुदृढ़ कार्यबल के साथ भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है। इंडियाएआई मिशन में सात स्तंभ हैं जिनमें एआई मॉडल का विकास, अनुप्रयोग, डेटासेट, प्रतिभा विकास और किफ़ायती कम्प्यूट शामिल है।

<u>इंडियाएआई कंप्यूट पिलर:</u>

इंडियाएआई मिशन के माध्यम से, भारत घरेलू एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके अपनी सॉवरेन एआई क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। इंडियाएआई कंप्यूट पिलर का उद्देश्य स्टार्टअप, एमएसएमई, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की सेवा के लिए एक स्केलेबल, सुलभ और संप्रभु एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम स्थापित करना है।

<u>अफोर्डेबल कम्प्यूट:</u>

- एम्पैनल किए गए कंप्यूट सर्विस प्रोवाइडर्स (सीएसपी): 15 एम्पैनलमेंट के चार राउंड में, जिनमें हाई-एंड और मिड-टियर, दोनों तरह के जीपीयू शामिल हैं।
- सब्सिडी वाले कंप्यूट सपोर्ट के लिए स्वीकृत किए गए एंड-यूज़र्स की संख्या: 237; इसके तहत सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स और एमएसएमई, रिसर्चर्स, एकेडमिक संस्थानों, इंडियाएआई फ़ेलो और स्टूडेंट्स के लिए लगभग 93.18 लाख जीपीयू घंटे स्वीकृत किए गए।
- मांग एकत्रीकरण और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के माध्यम से, कंप्यूटिंग दरें बाजार में प्रचलित कीमतों से काफी कम रखी गई हैं। पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए 40% तक की सब्सिडी के साथ, जीपीयू एक्सेस 1 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटे से भी कम दरों पर उपलब्ध है।
- इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल (https://compute.indiaai.gov.in) को कंप्यूट संसाधनों की खोज, अनुरोध और पहुंच के लिए एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में चालू कर दिया गया है, साथ ही बिलिंग और उपयोग के लिए प्रकाशित रेडी रेकनर और मानक संचालन प्रक्रियाएं भी उपलब्ध हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत के संप्रभु एआई अवसंरचना को और सुदृढ़ करने और विदेशी कंप्यूटिंग संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए, दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित एनआईसी डेटा सेंटर में लगभग 1.1 ईएफएलओपीएस की उच्च-प्रदर्शन एआई कंप्यूटिंग प्रणाली स्थापित की जा रही है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण, जिसमें कंप्यूटर आवंटन, सेवा प्रदाता और स्वीकृत सब्सिडी शामिल हैं, कंप्यूटर पोर्टल (https://compute.indiaai.gov.in) पर उपलब्ध है। हालांकि, राज्यवार और जिलावार आवंटन डेटा केंद्रीय रूप से संग्रहित नहीं किया जाता है, क्योंकि मिशन के तहत समर्थित स्टार्टअप, एमएसएमई और शोधकर्ताओं से युक्त नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पूरे देश में फैला हुआ है और आवेदनों का मूल्यांकन भौगोलिक आधार के बजाय परियोजना के आधार पर किया जाता है।

इंडियाएआई ने जीपीयू रिसोर्स और सब्सिडी आवंटन के उपयोग हेतु एक 'एंड-यूज़र पॉलिसी' जारी की है। यह पॉलिसी एंड-यूज़र्स के लिए पात्रता की शर्तें और रियायती दरों पर एम्पैनल्ड एआई सेवाओं का लाभ उठाने का तरीका बताती है। सरकार आवेदन और आवंटन प्रक्रिया की लगातार समीक्षा करती रहती है। इसमें पहली बार और शुरुआती चरण के आवेदकों के लिए आउटरीच और हैंडहोल्डिंग सहायता भी शामिल है, ताकि पूरे इकोसिस्टम में छोटी और नई संस्थाओं को समान रूप से सुविधाएँ मिल सकें।

(घ): सरकार आंध्र प्रदेश के एआई इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण रुचि से अवगत है, जिसमें विशाखापत्तनम में घोषित एआई हब भी शामिल है, जो एक निजी निवेश का प्रतिनिधित्व करता है और इसे इंडियाएआई मिशन या किसी अन्य केंद्रीय योजना के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया गया है।
